(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 02/2015

1. गोरूराम (मृत)
1/1. तुलछी देवी पत्नी गोरूराम
1/2. बिमला (फौत)
1/2/1. प्रदीप पुत्र बिमला
1/2/2. अनीता पुत्री बिमला
1/2/3. विकास पुत्र बिमला
1/2/4. सुवालाल पति बिमला समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कुड़ली तहसील व जिला सीकर

–वादीगण–

बनाम

1 भंवरलाल
2. सांवरमल पुत्रगण लादूराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कुड़ली तहसील व जिला सीकर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर
4. नेमीचन्द पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी ग्राम कुड़ली तहसील व जिला सीकर
5. दिलसुखराम पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी खुड़ी बड़ी तह0 लक्ष्मणगढ
6. सुमित सोनी पुत्र मानकचन्द जाति सोनी निवासी आनन्द लगर फतेहपुर रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर
7. सतीशचन्द पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी घोड़ीवारा कला तह0 नवलगढ जिला झून्झूनु
8. मनभरी पत्नी भूराराम पुत्री लादूराम जाट निवासी भादवासी हाल नि0 कुड़ली तहसील व जिला सीकर

– प्रतिवादीगण –

**<u>वाद बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>**

उपस्थित –वकील वादीगण– श्री प्रभातीलाल
वकील प्रतिवादीगण – श्री सागरमल धायल, श्री भंवरलाल बिजारणियां

10.1.2023
उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

वाद वादीगण बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बालाजी भैरूजी नगर तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 662, 567, 568, 569 सम्पूर्ण का वादिया संख्या 1/1 को 1/2 एवं वादीगण सख्या 1/2/1 से 1/2/4 को 1/2 हिस्सा का संयुक्त रूप से एंव खसरा नम्बर 123 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम कुडली तहसील व जिला सीकर में से पश्चिमी भाग का 1/2 हिस्से में वादिया संख्या 1/1 को 1/2 एवं वादीगण सख्या 1/2/1 से 1/2/4 को 1/2 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष बदस्तुर जमाबंदी रहेगा। खसरा नम्बर 662, 567, 568 एवं 569 में से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाता है। खसरा नम्बर 664 रकबा 3.65 है0 वाके ग्राम बालाजी भैरूजी नगर तहसील व जिला सीकर में से प्रतिवादी संख्या 1 को 0.9278 है0, प्रतिवादी संख्या 2 को 1.0992 है0, प्रतिवादी संख्या 4 को 0.2200 है0, प्रतिवादी संख्या 7 को 0.3372 है0 एवं प्रतिवादी संख्या 8 को 1.0658 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 664 से वादीगण का नाम हजफ किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी सख्या 5 व 6 को किया गया बेचान शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाता हैं। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार अमल दरामद करें।

10/1/2023

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी सीकर

## वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रुपया | | रुपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4. ............ रुपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल | 5.00<br><br><br>36.00 | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | 36.00 |
| जोड़ | 41.00 | जोड़ | 36.00 |

आज तारीख 10·1·2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

Scanned with Oken Scanner